



STATE CONSUMER HELPLINE KNOWLEDGE RESOURCE MANAGEMENT PORTAL

Centre for Consumer Studies, Indian Institute of Public Administration, New Delhi
Sponsored by Department of Consumer Affairs, Govt. of India



पैन कार्ड:- कब, क्यों और कैसे ?

PAN (Permanent Account Number/ स्थाई खाता संख्या) पूरे भारत में दस अंकीय वर्णात्मक संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। PAN आर्थिक/वित्तीय लेन देन के लिए आवश्यक है। पैन का प्राथमिक उद्देश्य है, आर्थिक/वित्तीय लेन देन के लिए एक सार्वभौमिक पहचान देना व कर चोरी को रोकना। पैन स्थायी होता है। इसे राज्यों के पते के अनुसार बदलने की आवश्यकता नहीं है।



सामान्यतः पैन नंबर 'AFZPK7190K' की तरह होता है।

- यहाँ पहले तीन अक्षर "AFZ" पैन नंबर के वर्णक्रमानुसार हैं जो की AAA से लेकर ZZZ तक हैं।
- पैन का चौथा अक्षर धारक की अवस्था/सामाजिक स्थिति को दर्शाता है जैसे कि P= 'individual', F= 'Firm', C='Company', H= 'HUF', A= 'AoP', T= 'Trust' को दर्शाता है।
- पैन का पाचवाँ अक्षर जैसा की ऊपर 'K' है। जो की धारक के उपनाम का पहला अक्षर है।
- अगले चार अक्षर '7190' अनुक्रमिक नंबर हैं जो की 0001 से लेकर 9999 तक हैं।
- आखरी अक्षर 'K' वर्णक्रमानुसार है, जो की एक प्रकार का जांच अंक है।

आय विवरणी में पैन नंबर डालना अनिवार्य है। अन्यथा 10,000 रुपये की राशि देनी होगी।

अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड पाये जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

पैन के लिए आवेदन कौन कर सकता है और कैसे करना है?

- वह सभी व्यक्ति जो TAX भरते हैं उन्हें पैन कार्ड की आवश्यकता होगी।
- हर तरह के वित्तीय लेन देन में जहाँ पैन कार्ड को अनिवार्य लिखा गया है।
- आय कर विभाग के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या हर व्यक्ति जो व्यापार करता है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्त पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है, वह पैन के लिए आवेदन कर सकता है।

पैन के लिए आवेदन कैसे करना है:

पैन के आवेदन के लिए आपको 49A फॉर्म भरना होगा जो कि आप को आयकर विभाग से प्राप्त हो सकता है। आप इसे Online भी भर सकते हैं। पैन के लिए आपको केवल 96 रुपए, जिसमें सर्विस टैक्स भी शामिल है, जमा करने होंगे इसके अलावा आपसे कोई पैसा नहीं लिया जायेगा। आवेदन शुल्क डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा से भी भर सकते हैं। अगर आपका आवेदन और आवेदन शुल्क स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको अपने सहायक दस्तावेज पोस्ट / कूरियर द्वारा NSDL / UTITSL को भेजने होंगे। साथ में 49A फार्म पर आपको अपने दो रंगीन फोटो चिपकाना होगा और कोई भी एक दस्तावेज, पहचान व एक दस्तावेज पते के प्रूफ के साथ की फोटो कॉपी जो की आपके घर के पते को दिखाता हो जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आई-डी इत्यादि।

49A फार्म को भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें :-

- आवेदन पत्र टाइप या हस्तलिखित हो, वह कली स्याही में व बड़े अक्षरों में हो।
- दो फोटो संलग्न करने हैं।
- सही जन्म तिथि भरें।

STATE CONSUMER HELPLINES

GUJARAT	1800-233-0222, 079-27489945 / 46	BIHAR	1800 -345- 6188
MADHYA PRADESH	155343, 0755-2559778	RAJASTHAN	1800 -180- 6030
MAHARASHTRA	1800 -22- 22 62	ORISSA	1800-345-6724, 1800-345-6760,
TAMIL NADU	044-28592828		0674-2351990, 0674-2350209
BIHAR	1800 -345- 6188		

Email - schkrmp.iipa@gmail.com , Website - www.consumereducation.in, www.consumeradvice.in

पैन कार्ड का स्टेटस जानने के लिये आपको दिये गये लिंक पर देखना होगा |

For UTITSL : <http://www.myutiitsl.com/PANONLINE/panTracker.do>

For NSDL : <https://tin.tin.nsdl.com/tan/StatusTrack.html>

यहाँ आपको एप्लिकेशन टाइप में पैन व अपना नाम और जन्म-तारीख डालनी होगी |

पैन क्यों ?

किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन में आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी जैसे:-

- बैंक खाता आसानी से खुलवा सकते हैं |
- टेलिफोन के कनेक्शन के लिये पैन कार्ड उपयोग किया जा सकता है |
- अगर आपको DD व चेक देना हो जिसकी रकम 50 हजार या उससे अधिक हो तो भी आपको पैन की आवश्यकता होगी |
- अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका TDS 10% कटेगा अन्यथा 20% कटेगा |
- किसी भी विदेशी देश यात्रा के संबंध में जहां नकद 25000 हजार से अधिक का भुगतान हो |
- कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 5 लाख से ज्यादा उसकी खरीद व बेचने के लिये पैन होना जरूरी है |
- कोई भी (दो पहिया वाहन को छोड़कर) की खरीद व बेच के लिये |
- किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के बिल भुगतान , जिसकी रकम 25 हजार से ज्यादा हो |

जानकारी व शिकायत :-

ASK - 0124-2438000

Visit - www.incometaxindia.gov.in

यदि आपने फार्म में सही जानकारी दी है तो करीब एक महीने में कार्ड आपके दिये पते पर पहुँच जाना चाहिये पैन से सम्बन्धित किसी भी जानकारी व शिकायत के लिये संपर्क करें:-

UTITSL	
http://www.myutiitsl.com/pan_dcs/	
The Vice President IT PAN Processing Centre UTI Infrastructure Technology And Services LTD Plot No 3, Sector-11 CBD Belapur- Navi Mumbai 400614 Email- utiitsl.gsd@utiitsl.com Tel no 022-67931300-1304 Fax no 67931399	Regional Manager UTI Infrastructure Technology And Services Ltd 29, Netaji Subhash Road Kolkata- 700001 Email:- isw.kolkata@utiitsl.com Tel: 033- 22108959, 22104810 Fax:- 033-22435217
Regional Manager UTI Infrastructure Technology And Services Ltd 174-175, 1st floor, Rajendra Bhavan (DDA Bldg) Rajendra Place, New Delhi-110008 Email:- isw.newdelhi@utiitsl.com Tel No:- 011-25853115-119	Regional Manager UTI Infrastructure Technology And Services Ltd 45, Justice Basheer Ahmed Building 2nd Floor, Second Line Beach Chennai- 600001 Email:- isw.chennai@utiitsl.com Tel:- 044 25341224/1265 Fax: 033 2534 1346
NSDL	
https://tin.tin.nsdl.com/tan/StatusTrack.html	
5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997 /8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune - 411 016. Email- tininfo@nsdl.co.in Tel no 020 - 2721 8080 Fax no 020 - 2721 8081	

Use your own pen

The consumers are advised to use their own pen while filling up any form or writing on the cheque and other financial documents to avoid any fraud. The pen borrowed by you from other person may be a magic pen.

STATE CONSUMER HELPLINES

Andhra Pradesh
1800-425-0082
1800-425-2977

Arunachal Pradesh
1800-345-3601

Bihar
1800-345-6188

Chhattisgarh
1800-233-3663

Gujarat
1800-233-0222

Karnataka
1800-425-9339

Kerala
1800-425-1550

Madhya Pradesh
155343 ,
0755-2559778

Maharashtra
1800-2222-62

Mizoram
1800-231-1792

Nagaland
1800-345-3701

Orissa
1800-34567-24

Rajasthan
1800-180-6030

Sikkim
1800-345-3209

Tamil Nadu
044-2859-2828

West Bengal
1800-345-2808